

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाली पाली

प्रार्थीगण :-

बनाम

अप्रार्थीगण :-

मदनसिंह पुत्र हिरसिंह जाति राजपुत
निवासी करणवा ग्राम पंचायत कोटड़ी
तहसील देसूरी जिला पाली राज.

1. ग्राम पंचायत कोटड़ी तह. देसूरी जिला पाली
जरिये ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत
कोटड़ी प.सा.देसूरी जिला पाली राज.
2. चेनाराम पुत्र पकाराम जाति सीरवी निवासी
कोटड़ी तह. देसूरी जिला पाली राज.

किस्म मुकदमा : पंचायत निगरानी संख्या : 249/2024

जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या : (2024/ 281)

अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज. अधिनियम, 1994

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुयें
19.03.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। राजस्व (ग्रुप-2) विभाग जयपुर की आज्ञा क्रमांक प.7(15)राज/2022 दिनांक 25.05.2022 की अनुपालना में श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय पाली के पत्रांक/कोर्ट/2024/83 दिनांक 05.02.2024 के द्वारा स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान/वकुलाय को सूचित होकर पत्रावली दिनांक 22.05.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">N अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाली</p>	<p>क्र. 588 दि. 19/03/24 को जारी जायी।</p>
22/5/24	<p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी मय अतिरिक्त उपस्थित। प्रार्थी पत्रावली नर निवेदन किया कि प्रार्थी इस निगरानी के प्रव शर्त नही चलाना चाहता, निगरानी खारीज करवाई जावे। अतः निगरानी नरिख विद्वा खारीज की जाती है। पत्रावली नरिख नुसार शेफर नम्बर के कम है। निर्णय करे रजिस्टर नुसार जाया।</p> <p style="text-align: right;">Mun 22/5/24 अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली</p>	<p>अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली</p>